न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी।

दाण्डिक वाद संख्या - 1693/ 19

सरकार बनाम श्रीमती मानवती

धारा- 60 आबकारी अधिनियम,
थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।
मु०अ०सं०- 244/ 2018

आरोप

मैं **निदा जैदी**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी आप अभियुक्ता **श्रीमती मानवती** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ-

यह कि दिनांक- 25. 11. 2018 को समय 13. 45 बजे, स्थान- मऊरानीपुर रोड हुलकी माता मंदिर थाना गुरसरांय, जिला झांसी में पुलिस द्वारा आपके कब्जे से घटना स्थल पर मौके से एक प्लास्टिक की पिपियों में 10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गयी, जिसे रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने **धारा- 60 आबकारी अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 11. 02. 2025

(निदा जैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्ता ने उक्त आरोप से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक- 11. 02. 2025

(निदा जैदी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

Digitally signed by NIDA ZAIDI
Date: 2025.02.11 16:23:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court